



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 274 राँची, गुरुवार, 26 वैशाख, 1946 (श०)
16 मई, 2024 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

16 मई, 2024

संख्या-परि.वि.-234/08-681--परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या-390, दिनांक-07.03.2024 के द्वारा आसन्न लोकसभा आम चुनाव, 2024 हेतु अधिग्रहित किये जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के मोटर वाहनों के लिए Hire and Detention Charges की दर अधिसूचित की गई है। उक्त अधिसूचना के क्रम में वातानुकूलित/डीलक्स/सेमी डीलक्स बसों के लिए Hire and Detention Charges की दर निम्नवत निर्धारित की जाती है :-

क्र. सं.	वाहनों की श्रेणी	प्रस्तावित दर
1.	बस (35 सीट बैठान क्षमता या अधिक) - वातानुकूलित डीलक्स	4730.00
2.	बस (35 सीट बैठान क्षमता या अधिक) - डीलक्स	4150.00
3.	बस (20 सीट से 50 सीट तक) - सेमी डीलक्स	3800.00
4.	मिनी बस (14 सीट से 23 सीट तक) - वातानुकूलित	2500.00
5.	कम सीट वाला मिनी बस (8 सीट से 13 सीट तक) - वातानुकूलित	1650.00
6.	टाटा मैजिक	650.00

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार

सरकार के उप सचिव ।
